संख्या–550 / 65–2–2012–17(विविध) / 2012

प्रेषक,

वी0एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 20 जून, 2012

विषयः– नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) योजना में इलेक्ट्रॉनिक फार्म्स (ई–फार्म्स) द्वारा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर्स / लोकवाणी केन्द्रों / जन सुविधा केन्द्रों) के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान की स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण एवं 'शहरी अचलों में स्थापित जन सेवा केन्द्रों / लोकवाणी केन्द्रों / जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से विकलांग कल्याण विभाग की तीन सेवाओं यथा "विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन',' विकलांग व्यक्ति के विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन" एवं "विकलांग व्यक्ति द्वारा सयत्रों आदि के क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन" को उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्गत 'शासनादेश संख्या–85 / 65–2–2011–95(विविध) / 2005टी.सी. दिनांक 31–5–2011 के अनुरूप दिनांक 1–7–2012 से इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से यह सेवायें जन सामान्य को उपलब्ध करायी जानी है। 06 पायलट ई–डिस्ट्रिक्ट जनपदों यथा गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद नगर में पूर्व से दी जा रही सम्बन्धित सेवाएं ई–डिस्ट्रिक्ट योजना में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेगी।

2– योजना को सफलतापूर्वक गो–लाइव किये जाने हेतु जनपद / तहसील / ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में निम्न कार्यवाहियों ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना है.–

(क) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद / तहसील / ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में गैप इन्फ्रॉस्ट्रक्चर के रूप में उपलब्ध कराये गये अथवा पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर संयत्र एवं सहवर्ती उपकरण स्थापित एवं क्रियाशील है तथा उन पर नेटवर्क / इन्टरनेट कनेक्टीविटी भी उपलब्ध है।

(ख) समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिन्हें डिजीटल सिग्नेचर हेतु अधिकृत किया गया है तथा जिनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति / स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दी जायेगी, के डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफिकेट अभी तक तैयार नही हुये है तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा निम्न कार्यवाही शीघ्र की जानी होगी.–

- सम्बन्धितो द्वारा एन.आई.सी से डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त किये जाने होगे।

• एन.आई.सी. से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि निर्धारित आवेदन प्रपत्र जो कि जनपद स्तर पर डी.आई.ओ. एन.आई.सी. के माध्यम से अथवा http: nicca.nic. in वेब साइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है, को सम्बन्धितों द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराते हुये एन.आई.सी. को उपलब्ध कराना होगा जिसके उपरान्त एन.आई.सी. द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा।

• योजना के अन्तर्गत जिन अधिकारियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक है तथा यदि उनको किसी अन्य योजना में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये गये है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुन. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ही प्रयोग किया जाना होगा। उनके द्वारा यह भी जॉच कर लेना आवश्यक होगा कि उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की अवधि योजना के गो लाइव होने से पूर्व समाप्त तो नहीं हो रही है। अवधि समाप्त होने की दशा में उनके द्वारा उपरोक्त प्रक्रियानुसार अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करा लिया जाना आवश्यक होगा।

3 समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तथा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों द्वारा एन.आई.सी. से यथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। यदि किन्हीं कारणोवश उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है तो वह जनपद के सम्बन्धित डी.आई.ओ./एस.आई.ओ. एन.आई.सी से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण आदि प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

4— गो—लाइव के पूर्व अर्थात् दिनांक 15.08.2012 के उपरान्त एन.आई.सी. के स्थानीय अधिकारी के समन्वय से विभागीय हार्डवेयर पर स्टेट पोर्टल एवं ई—फार्म्स का उपयोग करते हुये पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही कर ली जाये ताकि गो—लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

5— यह भी सुनिश्चित किया जाना कि समस्त डिलीवरी प्वाइंट्स यथा जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर्स) लोकवाणी केन्द्रों यथा जन सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी से सेवाओं के प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गई है।

6— उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि राज्य में कॉमन सर्विस सेन्टर योजना के अन्तर्गत चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सीज के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार डिलीवरी की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ई—गर्वनन्स सेवाओं के लिए निम्न शुल्क प्राविधानित है—

क0स0	ई—गवर्नेन्स सेवा का नाम	नागरिक से लिये जाने वाला शुल्क (प्रति सेवा रू0)	नागरिक से लिये जाने वाले शुल्क का अंश विभाजन (प्रति सेवा रू0)	
			राज्य सरकार	सी.एस.सी.
1	विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन	10/—	0	10/—
2	विकलांग व्यक्ति से विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन	10/—	0	10/—
3	विकलांग व्यक्ति द्वारा सयत्रों आदि के क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन	10/—	0	10/—

7— निदेशालय स्तर पर इस कार्य समन्वय हेतु श्री एस0के0 श्रीवास्तव, उप निदेशक को परियोजना निदेशक नामित किया गया है, जिनका मोबाइल नं0 9415613554 है। किसी कठिनाई की दशा में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

8— उपरोक्तानुसार वाँछित समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

भवदीय,

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या—550(1)/65—2—2012—तदादेनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—सचिव, आई.टी.एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2—निदेशक, विकलाग कल्याण विभाग, उ.प्र.।
3—राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स उ0प्र0 अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
4—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लि. अशोक मार्ग, लखनऊ।
5—उप महानिदेशक, एवं एस.आई.ओ. एन.आई.सी. योजना भवन लखनऊ।
6—उप निदेशक, विकलांग कल्यशण (समस्त मण्डल) उ.प्र.।
7—समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को इस आशय से कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओ का कडाई से अनुपालन सुनिश्चत करने का कष्ट करें।
8— विकलांग कल्याण अनुभाग—1/2/3
9—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)
विशेष सचिव।